संख्या -152 /2026/789/35-4-2026/35-4099/ 185/2024(पार्ट-1)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक, 29 मई,2026

विषय – जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-07/त्व0आ0वि0यो0/2025-26, दिनांक: 01.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश सं0-46/2025/300/35-4-2025/35-4099/185/2024, (पार्ट-1), दिनांक: 29 मार्च, 2025 द्वारा स्वीकृत 01 कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किवित्तीय वर्ष 2024-2025 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-गोरखपुर में सड़क निर्माण से संबंधित शासनादेश सं0-46/2025/300/35-4-2025/35-4099/185/2024 (पार्ट-1), दिनांकः 29 मार्च, 2025 द्वारा 01 कार्य की रू0 25.15 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 12.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- अतः उक्त शासनादेश दिनांक: 29 मार्च, 2025 से स्वीकृत कार्य के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि का व्यय होना एवं गठित अनुबन्ध पर हुयी बचत की धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू० 12.36 लाख (रूपये बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	निविदा उपरान्त कार्य की लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (जी0एस0टी0 सहित)	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
विकास खण्ड सहजवॉ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-देवरिया में नहर पुलिया मेन सड़क से होते हुए चंद्र प्रकाश के घर हुए कोसल राय	25.15	21.13	3.8034	24.933	12.57	12.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के घर तक सी०सी०रांड का निमाण कार्य।						

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च,2025 , की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4, उ० प्र० शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय नियोजन अनुभाग-4, 30 प्र० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। कार्यपूर्णता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,36,000/- (रूपये बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3--यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-152/2025/789(1)/35-4-2026/35-4099/ 185/2024(पार्ट-1) -तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त गोरखपुर मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी गोरखपुर ।
13. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।